



Neutral Citation No. - 2026:AHC:177650

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 5392/2026

रूप सिंह उर्फ कालू

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता:

राहुल सिंह, रज्जन वर्मा

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता:

अंकिता पांडे, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल सिंह राजपूत, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. सिंह और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के विद्वान अधिवक्ता सुश्री अंकिता पांडे को सुना गया। आज दाखिल किया गया पूरक हलफनामा अभिलेख में ले लिया गया है।
2. यह जमानत याचिका मुकदमा अपराध संख्या 444/2025, धारा 78(2), 318(2), 65(1), 351(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और धारा 4(2) यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम और धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत, पुलिस थाना रथ, जिला हमीपुर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, प्रथम सूचनादाता को नोटिस तामील कर दिया गया है।
4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ-साथ धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में बलात्कार का कोई आरोप नहीं है, हालांकि, धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अपने बयान में उसने कहा है कि अपीलार्थी ने उसका यौन अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उत्पीड़न किया और उसकी मर्यादा भंग की और उसकी गुप्तांग में उंगली डाली। आगे यह निवेदन किया जाता है कि पीड़िता की आयु कक्षा 8वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार 14 वर्ष पाई गई है, जबकि हाई स्कूल का प्रमाण पत्र या पहले जिस विद्यालय में उसने पढ़ाई की थी उसका प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है और उसकी आयु निर्धारण के लिए पीड़िता की कोई रेडियोलॉजिकल परीक्षण भी नहीं की गई है। यह भी निवेदन किया जाता है कि पीड़िता की चिकित्सा-कानूनी विवरण यौन उत्पीड़न के आरोप का समर्थन नहीं करती है। यह भी निवेदन किया जाता है कि अपीलार्थी 21.12.2025 से जेल में बंद है और उसके खिलाफ पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें वह जमानत पर है। अंत में निवेदन किया जाता है कि यदि अपीलार्थी को जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता अपीलार्थी 14 वर्ष की नाबालिग लड़की है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत अपने बयान में उसने कहा है कि अपीलार्थी ने उसका यौन उत्पीड़न किया और उसकी मर्यादा भंग की और उसकी गुप्तांग में उंगली भी डाली।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता के नहाने का वीडियो रिकार्ड किया और वीडियो दिखाकर उस पर शादी करने का दबाव डाला। पीड़िता ने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दर्ज अपने बयान में भी यही बात कही है। हालांकि, धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दर्ज अपने बयान में उसने कहा है कि आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया, उसकी मर्यादा भंग की और उसकी गुप्तांग में उंगली डाली, लेकिन इसमें किसी घटना की तारीख या घटना का उल्लेख नहीं है। कक्षा 8वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार पीड़िता की उम्र 14 वर्ष है, हालांकि हाई स्कूल का प्रमाण पत्र या पहले जिस स्कूल में उसने पढ़ाई की थी उसका प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है और उसकी उम्र निर्धारित करने के लिए कोई रेडियोलॉजिकल जांच भी नहीं की गई है। पीड़िता की चिकित्सा-कानूनी रिपोर्ट यौन उत्पीड़न के आरोप का समर्थन नहीं करती है। आरोपी 21.12.2025 से जेल में बंद है और उसके खिलाफ पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें वह जमानत पर है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 मामले में दिए गए फैसले और इस न्यायालय के **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765 मामले में जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

8. तदनुसार, यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त अपीलार्थी- **रूप सिंह उर्फ कालू** को न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) अपीलार्थी बिना किसी स्थगन का अनुरोध किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) अपीलार्थी अपने द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

10. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. जमानत स्वीकार करने से पहले अपीलार्थी और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। अपीलार्थी और जमानतदारों के मोबाइल संख्या और आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि अपीलार्थी की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

13. सर्वोच्च न्यायालय के जमानत नीति रणनीति मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में, कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति **संबंधित जेल अधीक्षक** के माध्यम से ईमेल या ई-जेल पोर्टल द्वारा 24 घंटे के भीतर अपीलार्थी को भेज दे, यह आदेश जमानत देने संबंधी **स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021** के संबंध में दिनांक **31.01.2023** को दिए गए निर्णय (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित हुआ है।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

21 अगस्त, 2026

अभिषेक